न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं038 / 2015 तारीख रजू:– 10.06.2015
पीठासीन अधिकारी :– अनूपसिंह
R.A.S.

ठाकुरजी श्री कुंजबिहारी बिराजमान वाके कस्बा हिण्डौन जरिये पुजारी गोपाल शर्मा पुत्र श्री माधवमुरारी जाति ब्राहम्ण निवासी कोटपाडा (पाठक पाडा) हिण्डौन तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान ———————— सायल

बनाम

1. रामरूप
2. सुखराम
3. साहबसिंह
4. बिजेन्द्रसिंह
5. नवलसिंह

पिसरान श्यामलाल जाति माली निवासी बंधवाडा (मुकन्दपुरा) तहसील हिण्डौन जिला करौली ———————— गैरसायलान

प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– 1. श्री पुरूषोत्तमलाल गोयल एडवोकेट सायल
2. श्री अशोक नीमनका एडवोकेट गैरसायलान

निर्णय

दिनांक :– 18-12-2021

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सायल ने गैरसायलान के विरूद्ध न्यायालय हाजा में उक्त उनवानी वाद बाबत् बेदखली व स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर दिया है, जिसमें सायल को सफलता की पूरी पूरी उम्मीद है।

प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि आराजीयात खसरा नम्बर 993 रकबा 0.29 है0, 1006 रकबा 1.03 है0, 1015 रकबा 0.05 है0, 1016 रकबा 0.30 है0, 1017 रकबा 0.42 है0, कुल किता 5 कुल रकबा 2.09 है0 वाके ग्राम मुकन्दपुरा तहसील हिण्डौन जिला करौली में स्थित है। [illegible] खातेदारी सायल माफी मन्दिर के नाम दर्ज है तथा उक्त आराजीयात की [illegible] आदि का इंतजाम वादी गोपाल पुजारी मन्दिर के [illegible] मन्दिर की व्यवस्था व पूजा करता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.08 16:01:03 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि पूर्व में उ[illegible] आराजीयात की व्यवस्था व मन्दिर की सेवा पूजा का कार्य सायल के पिता माधव मुरारी करते थे, जिनकी मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र सायल आराजीयात मुतजिका मद नं02 प्रार्थना पत्र की काश्त की व्यवस्था व मन्दिर की सेवा पूजा कार्य सायल गोपाल

शर्मा करता चला आ रहा हैं तथा अपने इस कार्य में व धर्मेन्द्र कुमार पुत्र कुंजबिहारी ब्राहम्ण निवासी हिण्डौन की सहायता लेता आ रहा है। इस प्रकार सायल का प्रथम दृष्टया केस बखूबी साबित है।

प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि गैरसायलान ग्राम बंधवाडा (मुकन्दपुरा) के निवासी है, जो लडाकू व उदण्ड किस्म के व्यक्ति हैं, जिन्होंने पूर्व में भी सायल माफी मन्दिर की उक्त भूमि पर अवैध रूप से व खिलाफ कानून कब्जा कर लिया था, जिसके सम्बन्ध में सायल की ओर से जरिये नेस्ट फ्रेण्ड माधव मुरारी की ओर से उनके विरूद्ध बेदखली व स्थायी निषेधाज्ञा तथा घोषणा खातेदारी का दावा इस अदालत में उनवानी ठाकुरजी कुन्जबिहारी बनाम फूलबिहारी आदि मुकदमा नं0 428/99 दायर किया गया व दिनांक 27.05.2000 को अदालत हाजा ने डिक्री फरमा दिया था, जिसकी अपील गैरसायलान की ओर से न्यायालय आर.ए.ए. सवाईमाधोपुर के यहाँ दायर की गई। उक्त अपील भी दिनांक 19.04.2001 को न्यायालय आर.ए.ए. सवाईमाधोपुर द्वारा खारिज फरमा दी गई।

प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि इसके पश्चात मुताविक डिक्री उपजिला कलक्टर हिण्डौन गैरसायलान से आराजीयात मुतजिका मद नं02 प्रार्थना पत्र की भूमि का कब्जा न्यायालय उपजिला कलक्टर हिण्डौन के आदेश दिनांक 21.02.2002 की पालना में दिनांक 03.05.2002 को तहसीलदार हिण्डौन द्वारा मौके पर जाकर माधवमुरारी को संभलाया, जिसकी उक्त दिनांक को ही मौका रिपोर्ट तैयार की गई तथा दिनांक 09.05.2002 को तहसीलदार हिण्डौन द्वारा पालना रिपोर्ट उपजिला कलक्टर हिण्डौन के यहाँ भिजवा दी, तभी से सायल मन्दिर की आराजीयात की देखभाल व काश्त का इंतजाम गोपाल शर्मा का पिताजी माधव मुरारी करता रहा है तथा इस बाबत् तहसीलदार हिण्डौन द्वारा माधवमुरारी को प्रमाण पत्र भी जारी किया हुआ है। माधव मुरारी की मृत्यु के पश्चात उनका लडका गोपाल शर्मा मन्दिर की भूमियों पर काबिज व दखील होकर सम्पूर्ण आराजीयात की काश्त की व्यवस्था व देखभाल करता आ रहा है तथा मन्दिर की सेवा पूजा व देखभाल करता चला आ रहा हैं

प्रार्थना पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि गैरसायलान ने दादागिरी व लट्ठ के बल पर सायल मन्दिर की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1016 रकबा 0.30 है0 पर बिला हक व [illegible] को जबरन निर्माण हेतु नींव खोदना प्रारम्भ कर दिया, जिस पर [illegible] ता लगते ही सायल तुरन्त उक्त भूमि पर धर्मेन्द्र [illegible] पहुँचा और गैरसायलान से कहा कि यह [illegible] इस पर जबरन निर्माण करने हेतु नींव क्यों खोद रहे हो, इस पर गैरसायलान एकदम नाराज हो गये और कहा कि हम तो भूमि पर पुख्ता निर्माण करेंगे, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड सकता अभी तो इसी भूमि पर निर्माण चालू किया है, हम तो मन्दिर की पूरी जमीन पर कब्जा कर फसल काश्त करके रहेंगे, तुम पर बने जो

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.08 16:01:03 IST
Reason: SelfAttested

कर लेना इस पर गोपाल शर्मा व धर्मेन्द्र ने गैरसायलान को काफी समझाया मगर वे अजखुद मानने को तैयार नहीं है।

प्रार्थना पत्र के मद नं07 में दर्ज किया है कि गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द करने से गैरसायलान को कोई क्षति किसी प्रकार की नहीं है, जबकि गैरसायलान को पाबन्द नहीं करने से सायल को अपूर्तनीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से सम्भव नहीं है। इस प्रकार सुविधा का सन्तुलन सायल के पक्ष में बखूबी साबित है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन किया है कि सायल का प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार फरमाई जाकर गैरसायलान को दौराने वाद पत्र इस प्रकार पाबन्द फरमाया जावे कि वे स्वंय या किसी अन्य के द्वारा आराजीयात मुतजिका मद नं02 प्रार्थना पत्र की भूमि पर जबरन कब्जा नहीं करें ना ही किसी अन्य से करावें और ना कब्जा कर फसल काश्त करें और ऐसा कोई कार्य नहीं करें, जिससे उक्त आराजीयात में सायल के हकूकों को किसी प्रकार की कोई क्षति पहुँचे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तबल किया गया। गैरसायलान बाद तामील जरिये बकालतन उपस्थित आये तथा जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं01 में कतई गलत व असत्य खिलाफ कानून दावा बाबत् बेदखली व स्थायी निषेधाज्ञा सायल द्वारा गैरसायलान के विरूद्ध न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया जाना स्वीकार है, जिसमें सायल को हरगिज सफलता नहीं मिल सकती है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं02 में वर्णित आराजीयात का ग्राम मुकन्दपुरा तहसील हिण्डौन में स्थित होना स्वीकार है, शेष मजमून कतई गलत एवं असत्य होने के कारण अस्वीकार है। उक्त आराजीयात की खातेदारी सायल मन्दिर के नाम दर्ज नहीं थी, बल्कि उक्त भूमि की खातेदारी साबिक में स्व0 श्री रमनलाल के नाम दर्ज थी, जो उनकी मृत्यु के पश्चात उनके जेष्ठ पुत्र स्व0 फूलबिहारी के नाम दर्ज की गयी थी तथा वे ही उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार थे। उन्होंने उक्त भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 30.06.1997 को विल एवज 290000/–रूपया में गैरसायलान को विक्रय कर दी थी तथा उक्त भूमि की [illegible] 69 दिनांक 26.06.1997 गैरसायलान का नाम बहैसियत खातेद[illegible] दर्ज कर दिया गया था लेकिन वर्तमान वाद में पुजा[illegible] माधवमुरारी ने गैरसायलान पर फोड प्ले [illegible] कर एक तरफा में डिक्री करवाकर उक्त भूमि की खातेदारी गलत रूप [illegible]ायल के नाम दर्ज करवा ली है। वास्तंव में भूमि मुतदाविया गैरसायलान की [illegible]दारी व कब्जे काश्त की आराजीयात है। सायल का आराजीयात विवादग्रस्त से कभी कोई सम्बन्ध नहीं रहा और ना ही आज है। तथाकथित मन्दिर श्री कुंजबिहारी कस्बा

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.08 16:01:03 IST
Reason: SelfAttested

हिण्डौन में स्थित नहीं है। इसलिए इस नाम के किसी मन्दिर के पुजारी सायल व उनके पिता होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं03 कतई गलत एवं असत्य होने के कारण अस्वीकार है। सायल या उनके पिता द्वारा आराजीयात विवादग्रस्त की व्यवस्था व मन्दिर की सेवा पूजा कभी नहीं की गई, ना ही किसी अन्य के द्वारा करवाई गई, ना ही माधव मुरारी की मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र सायल गोपाल आराजीयात मुतदाविया की काश्त की व्यवस्था व मन्दिर की सेवा पूजा का कार्य ही करता चला आ रहा है, ना ही वह अपने ऐसे किसी कार्य में धर्मेन्द्र कुमार पुत्र कुंजबिहारी ब्राहम्ण निवासी हिण्डौन की कोई सहायता ही लेता चला आ रहा है, बल्कि सायल गोपाललाल पिछले 40 वर्षो से मुम्बई में नौकरी करता है तथा स्थायी रूप से मुम्बई में ही निवास करता है। सायल ने इस मद में सम्पूर्ण इबारत कतई गलत दर्ज की है, इस प्रकारसायल का कोई प्रथम दृष्टया केस साबित नहीं है बल्कि गैरसायलान का प्रथम दृष्टया केस बखूबी साबित है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं04 में गैरसायलान का ग्राम बंधवाडा (मुकन्दपुरा) के निवासी होना स्वीकार है, शेष इबारत कतई गलत एवं असत्य होने के कारण अस्वीकार है। गैरसायलान कोई लडाकू व उदण्ड किस्म के व्यक्ति नहीं है, बल्कि गैरसायलान समझदार व इज्जतदार व्यक्ति हैं गैरसायलान ने पूर्व में या कभी भी सायल माफी मन्दिर की भूमि पर कोई अवैध रूप से व खिलाफ कानून कब्जा नहीं किया है बल्कि गैरसायलान ने भूमि मुतदाविया उक्त भूमि के पूर्व खातेदार काश्तकार स्व0 श्री फूलबिहारी से जरिये पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 30.06.1997 को कय की है। सायल की ओर से जरिये नेष्ट फ्रेण्ड माधवमुरारी उक्त मद में दर्ज वाद कतई गलत एवं खिलाफ कानून पेश किया था, जो सायल द्वारा गैरसायलान की अनुपस्थिति में गलत रूप से डिकी करवाया था। सायल के अनुसार उक्त डिकी दिनांक 19.04.2001 की है, जिसके निष्पादन में गैरसायलान को भूमि मुतदाविया से आज दिन तक कभी बेदखल नहीं किया गया है। चूंकि पूर्व में दायर किये गये उक्त राजस्व वाद संख्या 428/99 में पक्षकारान मूलतः व सारतः एक ही थे। उक्त वाद की विषय वस्तु तथा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा की विषय वस्तु एक ही है तथा दावा हाजा में चाहे गये अनुतोष [illegible] अनुतोष एक ही है तथा पूर्ववर्ती वाद माननीय न्यायालय द्वारा निर्णित किया गया है, इसलिए दावा तथा प्रार्थना पत्र हाजा रेसज्यूडिकेटा के सिद्धान्त के तहत पोषणीय नहीं है तथा इसी स्टेज पर खारिज किये जाने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं05 कतई गलत एवं असत्य होने के कारण अस्वीकार है। न्यायालय के आदेश दिनांक 21.02.2002 की पालना में दिनांक 03.05.2002 को या कभी भी तहसीलदार हिण्डौन द्वारा भूमि मुतदाविया का कब्जा मौके पर जाकर किसी माधव

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.08 16:01:03 IST
Reason: SelfAttested

मुरारी को या अन्य किसी व्यक्ति को नहीं संभलवाया गया, ना ही उक्त दिनांक को मौके पर कोई मौका रिपोर्ट ही तैयार की गई। यदि दिनांक 09.05.2002 को तहसीलदार हिण्डौन द्वारा कोई पालना रिपोर्ट श्रीमान् उपजिला कलक्टर हिण्डौन के यहाँ भिजवाई गई है तो वह साजिशाना फोरज्ड, फाल्स व फैब्रिकेटेड है। भूमि मुतदाविया से किसी भी डिक्री की पालना में किसी भी आदेश के तहत तहसीलदार हिण्डौन द्वारा या अन्य किसी अधिकारी द्वारा आज दिन तक कभी बेदखल नहीं किया गया है। भूमि मुतदाविया पर गैरसायलान वास्तविक भौतिक रूप से काबिज व दखील होकर फसल दर फसल काश्त करते चले आ रहे हैं तथा रिहायश करते चले आ रहे हैं। सायल मन्दिर की कोई आराजीयात है ही नहीं, तो गोपाल शर्मा के पिता माधव मुरारी द्वारा ऐसी किसी आराजीयात की देखभाल व काश्त का इंतजाम करने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। यदि तहसीलदार हिण्डौन द्वारा माधवमुरारी को कोई प्रमाण पत्र जारी किया गया है तो वह फोरज्ड, फाल्स व फैब्रिकेटेड है तथा विधि के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण बमुकावले गैरसायलान नल एण्ड बोईड तथा प्रभावहीन है। जब माधवमुरारी ने अपने जीवन काल में आराजीयात मुतदाविया की ना तो कभी कोई देखभाल ही की, ना ही काश्त का कोई इंतजाम ही किया, तो माधव मुरारी की मृत्यु के पश्चात उनके लडके गोपाल शर्मा द्वारा भूमि मुतदाविया पर काबिज व दखील होकर सम्पूर्ण आराजीयात की काश्त की व्यवस्था व देखभाल करने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि उक्त गोपाल शर्मा स्थायी रूप से मुम्बई निवास करता है, इसलिए उसके द्वारा किसी मन्दिर की सेवा–पूजा व देखभाल करने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं06 कतई गलत एवं असत्य होने के कारण अस्वीकार है। गैरसायलान ने भूमि खसरा नम्बर 1016 रकबा 0.30 है0 में दिनांक 04.05.2015 को जबरन निर्माण हेतु कोई नींव खोदना प्रारम्भ नहीं किया, ना ही सायल धर्मेन्द्र कुमार पुत्र कुंज बिहारी को साथ लेकर मौके पर पहुँचा, ना ही उक्त मद में दर्ज कोई बात सायल ने गैरसायलान से कही, नही गैरसायलान कभी सायल पर नाराज ही हुए, ना ही गैरसायलान ने उक्त मद में दर्ज कोई बात सायल से कभी कही, बल्कि खसरा नम्बर 1016 में गैरसायलान ने उक्त भूमि के खरीद के समय ही अपनी रिहायश के लिए कच्चे–पक्के मकानात तामीर कर [illegible] भूमि मुतदाविया में वास्तविक भौतिक रूप से काबिज होकर [illegible] चले आ रहे हैं। गैरसायलान के उक्त मकानात में [illegible] सरकार ने गैरसायलान को नल सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से उक्त भूमि में हैण्डपम्प लगा दिया था, जिसमें गैरसायलान ने अपने स्वंय के खर्चे से विधुत मोटर लगा रखी है। जिसके सम्बन्ध में सायल व राज्य कर्मचा[illegible] को प्रारम्भ से ही पूर्ण जानकारी है। मौके पर खसरा नम्बर 1016 सम्पूर्ण आबादी के काम आ रहा है। जिसमें कोई काश्त नहीं होती है। उक्त खसरा नम्बर के सम्बन्ध में सायल

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.08 16:01:03 IST
Reason: SelfAttested

द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्पष्ट रूप से वार्ड वाई लॉ है तथा सायल का वाद इसी स्तर पर अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 रिजेक्ट किये जाने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं07 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं07 कतई गलत एवं असत्य होने के कारण अस्वीकार है। सायल का यह कहना कतई असत्य है कि गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द करने से गैरसायलान को कोई क्षति किसी प्रकार की नहीं है जबकि गैरसायलान को पाबन्द नहीं करने से सायल को अपूर्तनीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार संभव नहीं है। बल्कि तथ्य यह है कि गैरसायलान को पाबन्द नहीं करने से सायल को कोई क्षति किसी प्रकार की नहीं है जबकि गैरसायलान को पाबन्द करने से गैरसायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से सम्भव नहीं है। इस प्रकार सुविधा का सन्तुलन सायल के पक्ष में न होकर गैरसायलान के पक्ष में बखूबी साबित है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति का कोई सिद्धान्त साबित नहीं है। इसलिए प्रार्थना पत्र सायल खारिज किये जाने योग्य है।

विशेष विवरण :–

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं08 में दर्ज किया है कि सायल द्वारा धारा 183 रा0टी0एक्ट की दादरसी महज खसरा नम्बर 1016 रकबा 0.30 है0 के बाबत् चाही है तथा जमीन आबादी के काम में लेने वाला तथ्य भी एक प्रकार से एडमिट किया है, इसलिए आबादी से बेदखल करने की दादरसी प्रदान करने का अधिकार अन्तर्गत धारा 207 रा0टी0एक्ट के तहत इस अदालत को प्राप्त नहीं है। इसलिए वाद वार्ड वाई लॉ के तहत अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 के प्रावधानों के तहत रिजेक्ट फरमाये जाने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं09 में दर्ज किया है कि पूर्ववर्ती राजस्व वाद उनवानी ठाकुर कुंजबिहारी बनाम फूलबिहारी वगैराह मुकदमा नं0 428/99, जो दिनांक 27.05.2000 को डिक्री किया,जिसकी अपील संख्या 63/2000 उनवानी रामस्वरूप आदि बनाम ठा0 कुंजबिहारी आदि दिनांक 19.04.2001 को निस्तारित की गई में मूलतः एवं सारतः पक्षकारान दावा हाजा के पक्षकारान ही थे। पूर्ववर्ती वाद तथा दावा हाजा की विषय वस्तु एक ही है तथा पूर्ववर्ती वाद में निर्णित किये गये अनुतोष दावा हाजा में चाले गये अनुतोष समान हैं। पूर्ववर्ती वाद न्यायालय द्वारा गुण व दोषों पर निर्णित किया गया [illegible] धारा 11 जा0 दी0 रेसज्यूडीकेटा के सिद्धान्त के अनुसार वाधित [illegible] पोषनीय नहीं है। इसी स्टेज पर खारिज होने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं010 में दर्ज किया है कि [illegible] विवादग्रस्त पर सायल या उसके पिता का उनके जीवनकाल में आज दिन तक कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा, इसलिए कब्जे के अभाव में प्रार्थना पत्र सायल खिलाफ गैरसायलान बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा पोषनीय नहीं है, खारिज किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.08 16:01:03 IST
Reason: SelfAttested

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं011 में दर्ज किया है कि सायल व पूर्व पारित आदेशों में जमीन बक्सीस में देना अंकित किया है। मगर यह अंकन नहीं किया कि बक्सीस जागीरदार द्वारा दी गई है या राज्य सरकार द्वारा दी गई है। माफी से जमीन देना व बक्सीस में जमीन देना दो अलग अलग बातें हैं। इसलिए बक्सीस को माफी से जोडना कतई न्याय संगत नहीं है। बक्सीस किसी एक आदमी के स्वंय के लिए व उसके परिवार की गुजारे के लिए दी जाती है तथा माफी मन्दिर के भोगराज व सार्वजनिक उपयोग के लिए होती है। इसलिए बक्सीस को माफी से जोडकर विधि के सर्वमान्य सिद्धान्तों के विपरीत वाद तथा प्रार्थना पत्र दायर किया है, जो खारिज फरमाये जाने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं012 में दर्ज किया है कि तथाकथित बक्सीस प्राप्तकर्ता धारा 63 रा0टी0एक्ट के प्रावधानों के तहत अपने सम्पूर्ण टीनेन्सी राईटस समाप्त कर चुके हैं, उस बिना पर ही दावा तथा प्रार्थना पत्र खारिज फरमाये जाने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं013 में दर्ज किया है कि सायल ने दावा तथा प्रार्थना पत्र हाजा म्याद बाहर प्रस्तुत किया है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं014 में दर्ज किया है कि सायल द्वारा विक्रय पत्र तारीखी 30.06.1997 के केन्सीलेशन बाबत् वाद दायर नहीं किया गया है। गैरसायलान भूमि मुतदाविया के वास्तविक भौतिक कब्जे में है, उनका कब्जा पूर्ण रूप से विधि सम्मत है। गैरसायलान भूमि मुतदाविया के खातेदार टीनेन्ट हैं, जिन्हें किसी भी प्रकार से बेदखल किया जाना विधि सम्मत नहीं है। सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खिलाफ गैरसायलान खारिज किये जाने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं015 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र सायल सभी मेटरियल फेक्टस को छिपाते हुए हाइड एण्ड सीक के सिद्धान्तों के तहत प्रस्तुत किया है, इसलिए सायल गैरसायलान के विरूद्ध कोई इक्यूटेबिल रिलीफ प्राप्त करने के हकदार नहीं है।

अतः जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र सायल खिलाफ गैरसायलानं मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

वकील सायल ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2069–72, फोटो प्रति नकल न्यायालय उपजिला कलक्टर हिण्डौन के निर्णय व डिक्री मुकदमा नं0 428/1999 उनवानी ठाकुरजी श्री कुंजबिहारी जी विराजमान कस्बा हिण्डौन जरिये नक्स्ट फ्रेन्ड माधव मुरारी पुत्र श्री रमनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी पाठक पाडा पुरानी कचहरी के पास [illegible] फूलबिहारी ब्राहम्ण वगैराह दावा बाबत् घोषणा खातेदारी, बेदखली [illegible] व हुक्मईम्तनाई दवामी निर्णित दिनांक 27.05.2000, फोटो प्रति न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर अपील संख्या 63/2000 उनवानी रामरूप वगैराह बनाम ठाकुरजी श्री कुंजबिहारी जी विराजमान कस्बा हिण्डौन जरिये नक्स्ट फ्रेन्ड माधव मुरारी पुत्र श्री रमनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी पाठक पाडा पुरानी कचहरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.08 16:01:03 IST
Reason: SelfAttested

के पास हिण्डौन सिटी जिला करौली व फूलबिहारी पुत्र रमनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी चौबे पाडा हिण्डौन में पारित निर्णय व डिकी दिनांक 19.04.2001, फोटो प्रति न्यायालय उपजिला कलक्टर हिण्डौन इजराय मूर्ति श्री कुंजबिहारी बनाम फूलबिहारी आदेशिका दिनांक 21.02.2002 एवं 19.03.2002, फोटो प्रति तहसीलदार हिण्डौन का पत्रांक 829 दिनांक 09.05.2002, फोटो प्रति मौका परचा इजराय मूर्ति श्री कुंजबिहारी बनाम फूलबिहारी मौका परचा कस्बा हिण्डौन दिनांक 03.05.2002, तहसीलदार हिण्डौन द्वारा जारी प्रमाण पत्र कमांक 14 दिनांक 25.03.2000, पेश किये हैं।

इसके विपरीत वकील गैरसायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2053–56, नकल जमाबन्दी सं.2057–60, फोटो प्रति नकल मिलान क्षेत्रफल, पेश किये हैं।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई। वकील सायल ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। इसके विपरीत वकील गैरसायलान ने जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया है और सायल का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। सायल की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2069–72 के अनुसार विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 993 रकबा 0.29 है0, 1006 रकबा 1.03 है0, 1015 रकबा 0.05 है0, 1016 रकबा 0.30 है0, 1017 रकबा 0.42 है0, कुल किता 5 कुल रकबा 2.09 है0 वाके ग्राम मुकन्दपुरा तहसील हिण्डौन की खातेदारी माफी मन्दिर श्री कुन्ज बिहारी जी वाके हिण्डौन खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल न्यायालय उपजिला कलक्टर हिण्डौन के निर्णय व डिकी मुकदमा नं0 428/1999 उनवानी ठाकुरजी श्री कुंजबिहारी जी विराजमान कस्बा हिण्डौन जरिये नक्स्ट फ्रेन्ड माधव मुरारी पुत्र श्री रमनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी पाठक पाडा पुरानी कचहरी के पास हिण्डौन सिटी जिला करौली बनाम फूलबिहारी ब्राहम्ण वगैराह दावा बाबत् घोषणा खातेदारी, बेदखली आराजीयात व हुक्म ईम्तनाई दवामी निर्णित दिनांक 27.05.2000 के अनुसार दावा वादी डिकी किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 993,10[illegible]पुरा से प्रतिवादी सं02 लगायत 6 का नाम हजफ कर व[illegible] मन्दिर श्री कुंजबिहारी जी वाके हिण्डौन के नाम दर्ज [illegible] को बेदखल कराकर वादी कब्जा प्राप्त कर[illegible] जरिये हुम्ईम्तनाई दवामी पाबन्द किया जाता है कि उपरोक्त वि[illegible]त आराजीयात में वादी के कब्जा काश्त में, मजाहमत , मदाखलत नहीं करें। [illegible]क्तानुसार पर्चा डिकी जारी हो, साथ ही तहसीलदार हिण्डौन को निर्देशित किया जावे कि जमाबन्दी सं0 2015 लगायत 2018, खाता संख्या 129 वाके ग्राम मुकन्दपुरा में

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.08 16:01:03 IST
Reason: SelfAttested

विवादित आराजीयात के साथ अंकित अन्य आराजीयात जो मन्दिर श्री कुंजबिहारी के नाम है कि खातेदारी अगर किसी अन्य व्यक्ति के नाम हो तो नियमानुसार प्रकरण तैयार कर रेफरेंस की कार्यवाही की जावे।

फोटो प्रति न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर अपील संख्या 63/2000 उनवानी रामरूप वगैराह बनाम ठाकुरजी श्री कुंजबिहारी जी विराजमान कस्बा हिण्डौन जरिये नक्स्ट फ्रेन्ड माधव मुरारी पुत्र श्री रमनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी पाठक पाडा पुरानी कचहरी के पास हिण्डौन सिटी जिला करौली व फूलबिहारी पुत्र रमनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी चौबे पाडा हिण्डौन में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.04.2001 के अनुसार अपील खारिज की गई है तथा उपजिला कलक्टर हिण्डौन का निर्णय व डिक्री दिनांक 27.05.2000 यथावत रखने के आदेश पारित किये है।

फोटो प्रति न्यायालय उपजिला कलक्टर हिण्डौन इजराय मूर्ति श्री कुंजबिहारी बनाम फूलबिहारी आदेशिका दिनांक 21.02.2002 के अनुसार पत्रावली वकील डिक्रीदार के आवेदन पत्र पर पेश हुई। वकील डिक्रीदार ने आवेदन किया है कि भूमि खसरा नम्बर 993,1006,1015,1016,1017 वाके ग्राम मुकन्दपुरा का कब्जा डिक्रीदार को दिलाने के लिए इजराय पेश करते समय मांग नहीं की गई थी। राजस्व रिकार्ड में डिक्रीदार के नाम अमल हो चुका है। अब भूमि का कब्जा डिक्रीदार को दिलाया जावे। कागजात का अवलोकन किया दिनांक 27.05.2000 को पारित डिक्री में भूमि खसरा नम्बर 993,1006,1015,1016,1017 वाके ग्राम मुकन्दपुरा से प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी घोषित किये हैं। अतः वकील डिक्रीदार द्वारा आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है तथा मुताविक डिक्री भूमि के प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा वादी को देने के आदेश तहसीलदार हिण्डौन को दिये जाते हैं। तलवाना पेश होने पर वारन्ट दखल जारी हो। पत्रावली नियत दिनांक 19.03.2002 को पेश हो।

फोटो प्रति तहसीलदार हिण्डौन का पत्रांक 829 दिनांक 09.05.2002 के अनुसार उपजिला कलक्टर हिण्डौन को प्रेषित करते हुए अंकित किया है कि प्रासांगिक पत्रांक 1224 दिनांक 21.03.2002 के प्राप्त होने पर मुताविक आदेश के ग्राम मुकन्दपुरा के खसरा नम्बर 993,1006,1015,1016,1017 पर श्री ठा0कुंजबिहारी जी विराजमान कस्बा हिण्डौन जरिये नेक्स फ्रेण्ड माधवमुरारी पुत्र रमनलाल ब्राहम्ण निवासी हिण्डौन को मौके पर कब्जा सं[illegible] रिपोर्ट संलग्न है।

फोटो प्रति मौका परचा इजराय [illegible] मौका परचा कस्बा हिण्डौन दिनांक 03.05.2002 के [illegible] दिनांक 03.05. 2002 को मुताविक आदेश तहसीलदार हिण्डौन कमांक 553 [illegible] 23.03.2002 की पालना में खसरा नम्बर 993 रकबा 0.29 है0, 1006 रकबा [illegible].03 है0, 1015 रकबा 0.05 है0, 1016 रकबा 0.30 है0, 1017 रकबा 0.42 है0, कुल किता 5 कुल रकबा 2.09 है0 वाके ग्राम मुकन्दपुरा हाजिर आया। पटवार रिकार्ड पटवारी से

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.08 16:01:03 IST
Reason: SelfAttested

कबा–5 एयर

प्राप्त कर उक्त नम्बरान का मिलान रिकार्ड से कर मुताविक आदेश उक्त नम्बरान का कब्जा मूर्ति ठाकुर कुंजबिहारीजी विराजमान कस्बा हिण्डौन को जरिये नेष्टफ्रेण्ड माधवमुरारी पुत्र रमनलाल ब्राहम्ण निवासी हिण्डौन को संभलाया गया। मौका परचा पढकर सुनाया व हस्ताक्षर हाजिराल कराये गय। जिस पर माधव मुरारी जगमोहनलाल शर्मा, गुलाब के हस्ताक्षर हैं।

तहसीलदार हिण्डौन द्वारा जारी प्रमाण पत्र कमांक 14 दिनांक 25.03.2000 के अनुसार रिपोर्ट पटवारी कस्बा हिण्डौन तथा पूरवर्ती तहसीलदार के प्रमाण पत्र दिनांक 17.12.1986 के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि मूर्ति मन्दिर श्री कुंजबिहारीजी महाराज विराजमान कोटपाडा हिण्डौन तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान के पुजारी व माफीदार श्री रमणलाल जी पुत्र श्री मनोहर लाल जी की दिनांक 11.08.1976 को मृत्यु हो जाने के बाद से उनके पुत्र श्री माधव मुरारी पुत्र श्री रमणलाल जी उपरोक्त मन्दिर की पूर्ण रूप से सेवा पूजा कर रहे हैं एवं करते आ रहे हैं। व्यवस्थापक की दृष्टि से मन्दिर की सार संभाल भी ये ही करते आ रहे हैं।

इसके विपरीत वकील गैरसायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2053–56 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 993 रकबा 0.29 है0, 1006 रकबा 1.03 है0, 1015 रकबा 0.05 है0, 1016 रकबा 0.30 है0, 1017 रकबा 0.42 है0, कुल किता 5 कुल रकबा 2.09 है0 वाके ग्राम मुकन्दपुरा की खातेदारी फूलबिहारी पुत्र रमनलाल कौम ब्राहम्ण निवासी हिण्डौन खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा इसी जमाबन्दी पर अंकित नोट नामान्तकरण संख्या 71 दिनांक 26.09.1997 के अनुसार सम्पूर्ण खाता रामरूप, सुखराम साहबसिंह बिजेन्द्रसिंह नवलसिंह पि0 श्यामलाल जाति माली निवासी बंधवाला मुकन्दपुरा हि0ब0 खातेदार के नाम खातेदारी स्वीकार की गई दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं.2057–60 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 993 रकबा 0.29 है0, 1006 रकबा 1.03 है0, 1015 रकबा 0.05 है0, 1016 रकबा 0.30 है0, 1017 रकबा 0.42 है0, कुल किता 5 कुल रकबा 2.09 है0 वाके ग्राम मुकन्दपुरा तहसील हिण्डौन की खातेदारी रामरूप, सुखराम साहबसिंह बिजेन्द्रसिंह नवलसिंह पि0 श्यामलाल जाति माली निवासी बंधवाला मुकन्दपुरा हि0ब0 खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा इसी जमाबन्दी पर अंकित नोट नामान्तकरण संख्या अपठनीय दिनांक 17.0[illegible].2001 के अनुसार खातेदारी मूर्ति मन्दिर श्री कुंजबिहारीजी वाके हिण्डौन खातेदार के नाम दर्ज क[illegible]

उपरोक्त विवेचन के आधार पर [illegible] है कि विवादित आराजी आराजी खसरा नम्बर 993 रकबा 0.29 है0, [illegible] 0.05 है0, 1016 रकबा 0.30 है0, 1017 रकबा 0.42 है0, कुल किता 5 कुल रकबा 2.09 है0 वाके ग्राम मुकन्दपुरा तहसील हिण्डौन की खातेदारी क[illegible]न में माफी मन्दिर श्री कुन्ज बिहारी जी बाके हिण्डौन की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। जिससे गैरसायलान का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का नहीं है। सायल के हक में उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.08 16:01:03 IST
Reason: SelfAttested

विवादित आराजीयात के बाबत् पूर्व में इसी न्यायालय से दिनांक 27.05.2000 को निर्णय व डिक्री पारित की गई है, जिसकी अपील राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर के यहाँ होने पर भी उक्त अपील को निरस्त करते हुए इस न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 27.05.2000 को यथावत रखा गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि गैरसायलान का वर्तमान में विवादित आराजीयात से कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का नहीं है बल्कि सायल उक्त विवादित आराजीयात के रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार हैं तथा इस न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.05.2000 के आधार पर तहसीलदार हिण्डौन ने सायल को मौके पर कब्जा संभलाया गया है। जिससे स्पष्ट है कि गैरसायलान का उक्त विवादित आराजीयात पर किसी प्रकार का कोई कब्जा काश्त नहीं है। ऐसे हालात में यदि गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो सायल को अपूर्तनीय क्षति होने की पूरी पूरी सम्भावना प्रतीत होती है जबकि गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने में उन्हें कोई क्षति किसी प्रकार की होने की कोई सम्भावना नहीं है। इस प्रकार सायल का प्राईमाफेसी केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू सायल के पक्ष में बखूबी साबित है। ऐसे हालात में सायल का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैंसला दावा पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 993 रकबा 0.29 है0, 1006 रकबा 1.03 है0, 1015 रकबा 0.05 है0, 1016 रकबा 0.30 है0, 1017 रकबा 0.42 है0, कुल किता 5 कुल रकबा 2.09 है0 वाके ग्राम मुकन्दपुरा तहसील हिण्डौन में गैरसायलान जबरन कब्जा नहीं करें ना ही किसी अन्य से करावें और ना कब्जा कर फसल काश्त करें और ऐसा कोई कार्य नहीं करें, जिससे उक्त आराजीयात में सायल के हक, हकूकों को किसी प्रकार की कोई क्षति पहुँचे। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 15-12-2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.08 16:01:03 IST
Reason: SelfAttested